UPRN010065052024

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।

उपस्थित–रविन्द्र सिंह, एच०जे०एस०

दाण्डिक निगरानी संख्या–172 सन 2024

मो० मुकीम उर्फ शेरू उम्र लगभग 31 वर्ष पुत्र मो० फारूख निवासी ग्राम व पोस्ट सट्टी, थाना सट्टी, जिला कानपुर देहात।

-----निगरानीकर्ता।

बनाम

1– उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता कानपुर दे०

2– गाड़ी सं० यू०पी० 77 ए०क्यू० 0571 का चालक नाम पता अज्ञात

2/1– आसिफ पुत्र वसीम नि० मो० इस्लामाबाद अहरौली शेख पुखरायाँ थाना भोगनीपुर, कानपुर देहात।

-------विपक्षीगण।

निर्णय

1– यह दाण्डिक निगरानी, धारा 397 व 399 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निगरानीकर्ता मो० मुकीम उर्फ शेरू के द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–69/2024, मो० मुकीम उर्फ शेरू बनाम गाड़ी सं०–यू०पी० 77 ए०क्यू० 0571 का अज्ञात चालक, अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं०, थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के प्रकरण में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट भोगनीपुर, कानपुर देहात द्वारा पारित आदेश दिनांकित **23.09.2024** के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० निरस्त कर दिया।

2– इस दाण्डिक निगरानी से सम्बन्धित आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता/आवेदक द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि वह दिनांक 24.02.2024 को समय करीब 6.30 बजे पुखरायाँ कस्बे में काम निपटाकर घर आने के लिए अपने भाई चाँद के साथ हरदुआ ब्रिज के पास हाइवे किनारे खड़ा होकर सवारी का इन्तजार कर रहा था तभी मोटरसाइकिल संख्या–UP–77AQ–0571 का अज्ञात चालक तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसे टक्कर मार दी जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। उसे सी०एच०सी० पुखरायाँ ले जाया गया परन्तु वहाँ कोई डाक्टर नहीं मिला। प्राथमिक उपचार कराने के उपरान्त उसे जिला अस्पताल अकबरपुर कानपुर देहात रिफर कर दिया गया परन्तु उसे वहाँ भी कोई डाक्टर नहीं मिला और कहा कि उसके पैर का आपरेशन होगा जो यहाँ नहीं हो सकता। उक्त घटना की शिकायत पुलिस के उच्चाधिकारियों से की गयी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

3– विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोगनीपुर कानपुर देहात द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा

Digitally signed by RAVINDRA SINGH
Date: 2026.03.13 10:45:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

156(3) द०प्र०सं० पर आवेदक/निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखों के सम्यक अवलोकन के पश्चात मामले में कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध न पाते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह दाण्डिक निगरानी योजित की गयी।

4– निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी में यह आधार लिया गया है कि आक्षेपित आदेश तथ्यों एवं विधि के विरूद्ध है। विपक्षी सं०–2 द्वारा निगरानीकर्ता के साथ घटना कारित की गयी है जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था जिसका उसने समुचित इलाज कराया। इलाज के समस्त पर्चे संलग्न पत्रावली है। पुलिस विवेचना से ही सही तथ्यों की न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है तथा प्रथम दृष्टया प्रार्थना पत्र के तथ्यों से संज्ञेय अपराध बनता है परन्तु विद्वान अवर न्यायालय ने उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए आक्षेपित आदेश पारित किया है। आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण है। अतः आक्षेपित आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

5– विपक्षी की ओर से निगरानी के विरूद्ध आपत्ति 17क शपथपत्र 18क के साथ प्रस्तुत कर निगरानी में किये गये कथनों से इन्कार करते हुए कथन किया गया कि घटना बिल्कुल असत्य एवं मनगढन्त है, कोई भी दुर्घटना मुकीम उर्फ शेरू की नहीं हुई है, प्रश्नतगत मोटरसाइकिल से कोई घटना नहीं घटी है, महज क्लेम लेने के लिए यह झूठा मुकदमा दर्ज कराना चाहता है। घटना के समय विपक्षी वाहन नहीं चलाता था जरूरत पड़ने पर दानिश अहमद पुत्र इफ्तकार अहमद से वाहन चलवाता था। आक्षेपित आदेश वैधानिकता पूर्ण आदेश है। अतः निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6– निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7– निगरानीकर्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि के विपरीत है। पुलिस विवेचना से ही सही तथ्यों की जानकारी हो सकती है जिस पर विद्वान अवर न्यायालय ने कोई ध्यान न देते हुए सरसरी तौर पर बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये आक्षेपित आदेश पारित कर किया है।

8– विपक्षीगण की तरफ से निगरानी में किये गये कथनों को प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए यह कथन किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश वैधानिक एवं विधि सम्मत है।

9– निर्णयज विधि **अमित कपूर प्रति रमेश चन्द्र {2012} 9 एस सी सी 460** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय को निगरानी क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलों में करना चाहिए जहाँ पर

01.जिस निर्णय/आदेश को चुनौती दी गयी हो, वह बिल्कुल गलत है,
02.विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है और
03.बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिया गया है,

04.तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा

05.न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने तरीके से या तर्को के विरूद्ध किया गया है।

उपरोक्त निर्णयज विधि से स्पष्ट है कि निगरानी न्यायालय की शक्तियाँ बहुत ही सीमित है। निगरानी न्यायालय को यह देखना है कि आक्षेपित आदेश में कोई अवैधानिकता, अनियमितता तो नहीं है और क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि तो नहीं की गयी है। साथ ही यह भी देखना चाहिए कि प्रश्नगत आदेश औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं?

10– दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार–

संज्ञेय मामलों के अन्वेषण हेतु निम्नवत प्राविधानिक है–

धारा 156 {1}– "कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जॉच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अन्दर स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अध्याय 13 के उपबन्धों के अधीन हैः

धारा 156 {2}– "ऐसे किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि वह मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन अन्वेषण करने के लिए सशक्त न था।"

धारा 156 {3}–"धारा 190 के अधीन सशक्त किया गया कोई मजिस्ट्रेट पूर्वोक्त प्रकार के अन्वेषण का आदेश कर सकता है।"

11– प्रस्तुत मामले में निगरानीकर्ता की ओर से घटना के सम्बन्ध में मुख्य रूप से यह तथ्य रखा गया कि दिनांक 24.02.2024 को मोटरसाइकिल संख्या–UP–77AQ–0571 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए निगरानीकर्ता को टक्कर मार दिया जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और काफी अन्दरूनी चोटें आयी। उपचार हेतु निगरानीकर्ता को सरकारी अस्पताल ले जाया गया परन्तु वहाँ कोई चिकित्सक उपलब्ध न होने के कारण उसने अपना प्राइवेट इलाज कराया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता के कथनानुसार दिनांक 24.02.2024 को उसे दुर्घटना में चोटें आयी थी और लगभग तीन महीने बाद दिनांक 15.05.2024 को घटना के बावत उसने लिखित प्रार्थना पत्र थाना भोगनीपुर में दिया था जबकि निगरानीकर्ता के कथनानुसार घटना के समय उसके साथ उसका भाई चाँद भी मौके पर मौजूद था परन्तु निगरानीकर्ता के भाई अथवा उसके परिवारीजन द्वारा घटना के तुरन्त बाद अथवा अस्पताल में भर्ती कराये जाने के बाद थाने पर घटना के बावत कोई सूचना नहीं दी गयी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में संबंधित थाने से जाँच करायी गयी जिसमें यह जाँच आख्या प्राप्त हुई कि कथित दिनांक व समय पर हरदुआ पुल के पास कोई एक्सीडेण्ट नहीं हुआ था। निगरानीकर्ता के कथनानुसार निगरानीकर्ता को घटना के बाद सी०एच०सी० पुखरायाँ ले जाया गया परन्तु वहाँ कोई चिकित्सक नहीं मिला। फिर कथन किया कि प्राथमिक उपचार के बाद उसको जिला अस्पताल अकबरपुर रिफर कर दिया गया परन्तु कोई रेफरेल स्लिप निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। इन्हीं सब आधारों पर विचार करते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि प्रकरण में कोई

संज्ञेय अपराध का होना दर्शित नहीं होता है और इस आधार पर आक्षेपित आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) निरस्त किया गया है। यह न्यायालय की विवेकीय शक्ति है कि वह ऐसे तथ्यों के सम्बन्ध में अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए उस पर विचार करें। न्यायालय/मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि घटना के सम्बन्ध में जो तथ्य एवं परिस्थितियां दर्शायी गयी है, उसके आधार पर ऐसा कोई संज्ञेय अपराध घटित होना प्रतीत होता है तो वह मामले में अन्वेषण का आदेश दे सकता है या परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है और यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाए कि कोई मामला नहीं बनता है तो मजिस्ट्रेट प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का आदेश पारित कर सकता है।

12– इस प्रकार प्रस्तुत मामले में उपरोक्त विवेचना से यह दर्शित होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा आक्षेपित आदेश प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है। निगरानी में कोई बल नहीं है। निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

13– दाण्डिक निगरानी संख्या–172/2024 निरस्त की जाती है। आक्षेपित आदेश दिनांक–23.09.2024 सम्पुष्ट किया जाता है। मूल अभिलेख इस निर्णय की एक प्रति के साथ संबंधित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाए।

दिनांक–12.03.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित होकर सुनाया गया।

दिनांक–12.03.2026

(रविन्द्र सिंह)
सत्र न्यायाधीश
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)।
J.O. Code–UP02003